कार्यालय कलेक्टर,जिला खनिज संस्थान न्यास जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

प्रथम तल कक्ष क्र0 H-13 संयुक्त जिला कार्यालय भवन सूरजपुर
Email – dmfsurajpur@rediffmail.com

// संविदा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन//

सूरजपुर, दिनांक 13/02/2024

विज्ञापन क्रमांक/...959......./डी.एम.एफ./सूरजपुर/2024 :: छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग,मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ0ग0) के आदेश क्रमांक एफ 7-34/2016/XII नया रायपुर दिनांक 23.03.2021 में दिये गये स्वीकृति अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास (DMFT) अंतर्गत जिला कार्यालय सूरजपुर में 01 पद लेखापाल (संविदा), 02 पद सहायक ग्रेड–03 (संविदा) एवं 01 पद भृत्य (संविदा) पदों हेतु जिले के आरक्षण रोस्टर अनुसार कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन सूरजपुर, जिला–सूरजपुर में दिनांक 13.02.2024से दिनांक 05.03.2024तक कार्यालयीन समय पर केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित योग्याता धारक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत् रूप से या विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

- **जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला–सूरजपुर में भर्ती(विज्ञापन) जारी करने हेतु रिक्त पदों का विवरण :-**

क्र	पद का नाम	कुल पद	वेतनमान	वर्गवार	आयु		शैक्षणिक योग्यता
					न्यूनतम	अधिकतम	
1	लेखापाल	01	5200–20200 +2400	अनारक्षित –01 (मुक्त)	21	65	1. सेवा निवृत्त लेखापाल अथवा सेवा निवृत्त सहायक ग्रेड–1 (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) 2. 05 वर्षो का लेखा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होनो अनिवार्य है।
2	सहायक ग्रेड–03	02	रूपये 14200 एकमुश्त (प्रतिमाह)	अनारक्षित –01 (मुक्त) अ.ज.जा. –01 (मुक्त)	21	40	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 key डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य।
3	भृत्य	01	रूपये 11360 एकमुश्त (प्रतिमाह)	अनारक्षित –01 (मुक्त)	21	40	1. मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा में न्युनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2. कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

लेखापाल हेतु चयन की प्रक्रिया :—

(1) कलेक्टर सह अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित किया जावेगा।
(2) लेखापाल पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
(3) लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् कम से कम 05 वर्षों का लेखा कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।
(4) आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लेखा कार्य के अनुभव अवधि के आधार पर मैरिट सूची तैयार किया जावेगा।
(5) आवेदकों की लेखा कार्य अनुभव की अवधि भी समान होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।

सहायक ग्रेड–03 हेतु चयन की प्रक्रिया :—

(1) जिला स्तर पर कलेक्टर/पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास की अध्यक्षता में निर्धारित अर्हता मेरिट एवं कार्य अनुभव के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।
(2) न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के प्राप्त प्रतिशत् पर 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।
(3) न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता के प्राप्तांक पर 100 अंको का Weightage देते हुए 50 अंक और कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्तांक पर 100 अंको का Weightage देते हुए 50 अंक के आधार पर मैरिट सूची तैयार किया जावेगा।
(4) अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।
(5) सहायक ग्रेड–03 पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

भृत्य हेतु चयन की प्रक्रिया :—

(1) जिला स्तर पर कलेक्टर/पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास की अध्यक्षता में चयन समिति के माध्यम से किया जावेगा।
(2) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची तैयार की जावेगी।
(3) भृत्य के पद हेतु पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
(4) भृत्य पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उर्त्तीण चाही गई है। भृत्य पद हेतु, जिन प्रतिभागियों के 8वीं अंकसूची में ग्रेड अंकित किया गया है, वे समस्त प्रतिभागी संबंधित स्कूल के प्राचार्य से अंको का निर्धारण कराकर प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करें, अन्यथा ग्रेडिंग सिस्टम अनुसार अंक अंतराल की न्यूनतम् सीमा को गणना में लेकर मेरिट सूची तैयार कर ली जावेगी।
(5) अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावेगी।

अन्य नियम व शर्ते :—

- छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
- उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एक मुश्त वेतन देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जावेगा।
- संविदा पर नियुक्ति हेतु पद क्रमांक 01 के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, व पद क्रमांक 02 एवं 03 हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
- नियुक्तिकर्ता के द्वारा पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
- संविदा नियुक्ति तीन वर्षों के लिये होगी। प्रदर्शन के आधार पर संविदा नियुक्ति में वृद्धि की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति के नियम के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति किया जावेगा।
- संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है एवं बिना किसी पूर्व सूचना के संविदा सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात्, उक्त संविदा सेवा अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन उपक्रम या मृत्यु लाभ, कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।

- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- अ.ज.जा. वर्ग के आवेदको को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति के निराकरण के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का निर्णय/आदेश अंतिम व बंधनकारी होगा।
- आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित/छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। इसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज़ का नवीनतम अभिप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
- अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण/हस्ताक्षर विहिन/आरक्षण के विपरीत/वांछित अर्हता, योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न होना नहीं पाये जाने तथा निर्धारित अर्हता व योग्यता नहीं रखने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी, जिसके लिये आवेदक स्वतः उत्तरदायी होगा।
- विज्ञापित पद के लिये आवेदन पत्र के साथ लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा, इसी प्रकार प्रेषक का नाम व पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखना होगा, इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र के साथ 10" X 4" साईज का दो लिफाफा, 25 – 25/–रू. का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पूर्ण पता सहित संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.) पिन नम्बर 497229 को प्रेषित करते हुए दिनांक 13.02.2024 से दिनांक 05.03.2024 तक कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक स्वीकार किया जावेगा।
- नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्र जांच सही पाये जाने पर नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
- चिकित्सा एवं पुलिस सत्यापन के पश्चात् कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- विज्ञापन से संबंधित निर्धारित शर्तें व नियम आवेदन पत्र का प्रारूप का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सूरजपुर के सूचना फलक एवं एन.आई.सी. के वेबसाईट www.surajpur.gov.in पर देखा जा सकेगा।
- उम्मीदवारों के द्वारा अपनी आयु सत्यापन हेतु पांचवीं, आठवीं, हाई स्कूल प्रमाण पत्र/अंकसूची की प्रमाणित (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।

टीप :– **यह सुनिश्चित् करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिये निर्धारित अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हों। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपने अर्हता की जाँच स्वयं करें तथा अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।**

संलग्न :– आवेदन पत्र का प्रारूप।

कलेक्टर, सह अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला सूरजपुर, (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 959-A / डी.एम.एफ. / सूरजपुर / 2024 सूरजपुर, दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपि :–

1. व्यवस्थापक, जिला खनिज संस्थान न्यास, एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव, जिला सूरजपुर खनिज संस्थान न्यास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी एन.आई.सी. जिला सूरजपुर को वेबसाईट www.surajpur.gov.in में अपलोड करने हेतु।
5. सर्व कार्यालय प्रमुख .... विभाग, जिला–सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं पद क्रमांक 01 हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को सूचित करने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालयीन सूचना फलक पर चस्पा कर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर, सह अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला सूरजपुर, (छ.ग.)